(130)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

निगरानी संख्या 24/14

तारीख रजू– 10/10/2014

श्रीमति कजोडी देवी पुत्री श्री प्रहलाद धाबाई निवासी चौथ का बरवाडा। ––निगरानीगुजार

बनाम

– बजरंगलाल पुत्र रामनिवास माली निवासी चौथ का बरवाडा।
– ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।

––अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–01/02/2016

निगरानीगुजार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पत्रावली संख्या 306/1964–65 उपं 198/1961–62 के विरूद्व प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई व दोनो पक्षो ने लिखित बहस पेश की।

निगरानीगुजार ने मीमो ऑफ निगरानी मे उल्लेख किया है कि श्री कन्हैयालाल पुत्र ईसर कोली के नाम फर्जी पटटा जारी किया गया है। उक्त पटटे की नकल हेतु निगरानीगुजार ने 18/12/12 को आवेदन दिया। इसके बाद 06/04/13 को निगरानीगुजार के पति ने पत्रावलियो की प्रतिया लेने के लिए आवेदन पत्र दिया इस पर प्रतिया प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की गई। पत्रावली संख्या 198 के द्वारा अप्रार्थी बजरंगलाल के पिता रामनिवास के नाम 30/12/61 को 3/–रू0 प्रति वर्गगज पर बोली छोडी गई लेकिन उनके द्वारा रकम जमा नही कराने पर 08/03/63 को बोली निरस्त करदी गई एवं पुनः नीलामी के आदेश दिये गये। रामनिवास माली ने सरपंच से साज करके कन्हैयालाल कोली के नाम 11/10/64 को पटटा बनवा लिया एवं उक्त पटटे के आधार कन्हैयालाल कोली ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर ..3/02/89 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड कराया है। जो पटटा 11/10/64 को जारी होना बताया है उसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत मे नही है। उक्त पटटा फर्जी तौर से जारी किया गया है। अतः उसके आधार पर अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ग्राम पंचायत द्वारा 17/03/63 को बोली निरस्त कर दी गई थी उसके बाद पंचायत नियम 262(2) के तहत पुनः नीलामी बोली लगाने के आदेश हो चुके थे। अतः इसी बोली के आधार पटटा जारी किया जाना अवैधानिक है क्योकि निगरानी के लिए कोई मियाद सीमा निर्धारित नही है। अतः निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जावे।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की है जो पत्रावली मे शामिल है। उन्होने अपनी बहस मे कन्हैयालाल कोली को 11/10/64 को जारी पटटे को फर्जी होना बताया है क्योकि इस पटटे से संबंधित पत्रावली का कोई रिकार्ड पंचायत मे नही है। सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने अपने पत्राक ../02/13/445 से पत्रावली संख्या 306 वर्ष 1964–65 पंचायत के रिकार्ड मे उपलब्ध नही होने की लिखित सूचना दी है जिसकी प्रति निगरानी पत्रावली मे पेश की है। पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर ../10/64 की नकल प्राप्त की है। उक्त प्रस्ताव रजिस्टर मे भी पटटा जारी करने का कोई उल्लेख नही .. पत्रावली संख्या 198 वर्ष 1961–62 मे बोली 3/–रू0 प्रतिगज लगायी थी लेकिन अनिगरानीकार के ..ता ने दिनांक 08/03/63 तक नीलामी राशि जमा नही करायी इसी कारण नीलामी निरस्त करदी गई .. इसी नीलामी के आधार पर 11/10/64 को पटटा जारी किया गया हो तो वह फर्जी है।

..र जिला कलेक्टर
..वाई माधोपुर

निगरानी संख्या 24/14 श्रीमति कजोडीदेवी बनाम बजरंगलाल वगै0

अनिगरानीकार के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की है जो पत्रावली मे संलग्न है। उन्होने अपनी लिखित व मोखिक बहस मे बताया कि निगरानीकार ने 50 वर्ष बाद निगरानी पेश की है जो मियाद बाहर है। इतने वर्षो बाद निगरानी पेश करने का कोई Justification नही है। निगरानीगुजार ने कजोडी देवी व पति जगदीश ने पटटा की नकल लेने के लिए 10/01/08 को आवेदन पत्र पेश किया था। निगरानीगुजार ने कजोडी देवी व इनके पति जगदीश के विरूद्व न्यायालय सिविल जज सवाईमाधोपुर मे विवादित भूमि के पास की जमीन के बारे मे दावा पेश किया था जिसमे EX1 नक्शा EX10 पटटा पेश किया जिसमे यह जमीन स्पष्ट रूप से कन्हैयालाल कोली से बजरंगलाल द्वारा खरीदना बताया गया। जवाब दावा मे भी भूमि कन्हैयालाल कोली से बजरंगलाल द्वारा खरीदना बताया है। अतः निगरानीकार ने दावे मे स्वामित्व को एंव टाईटल को स्वीकार किया है। विवादित प्लाट की नीलामी EXA3 नीलामी की पत्रावली पेश किये है तथा माननीय सिविल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 20/03/12 मे भी विवादित प्लाट के पटटे के संबंध मे उल्लेख है इससे निगरानीगुजार को उक्त भू–खण्ड का पटटा कन्हैयालाल को जारी होने का तथ्य 2005 से पहले से ही जानकारी मे रहा है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। 1999 WLC(vc)P-264 व 265 की नजीर उन्होने पेश की है। निगरानीगुजार ने कन्हैयालाल कोली का पटटा निरस्त करने के लिये निगरानी पेश की है लेकिन उसे पक्षकार नही बनाया है। अतः निगरानी चलने योग्य नही है। विवादित प्लाट 10X10 वर्गगज की नीलामी रामनिवास के पक्ष मे 300/–रू0 मे छूटी थी। रामनिवास ने 60/–रू0 दिनांक 20/12/61 को व 240/–रू0 24/07/63 को जमा करा दिये। रामनिवास के कहने पर चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत ने कन्हैयालाल कोली के पक्ष मे पटटा जारी किया है। निगरानीकार किसी भी रूप मे पीडित पक्ष नही है। अतः निगरानी पेश करने का अधिकार नही है।

निगरानीगुजार के अधिवक्ता ने बहस के जवाब मे बताया कि 2001(1) WLN P-200 के अनुसार निगरानी पेश करने की कोई मियाद नही है। पंचायत मे उक्त पटटे की कोई पत्रावली नही है अतः पटटा यदि सरपंच के हस्ताक्षरो से भी जारी है तो मिलीभगत से जारी होने से फर्जी है। ग्राम पंचायत के सचिव ने 60/–रू0 तथा 240/–रू0 दिनांक 24/07/63 को जमा कराने का नोट लगाया है। साठ रूपये पहले जमा कराने का प्रमाण नही है। उक्त राशि जमा करने के बाबत सरपंच के कोई दस्तखत नही है। कन्हैयालाल कोली की मृत्यु हो चुकी है तथा वह अपने अधिकार अनिगरानीकार संख्या 1 को हस्तान्तरण कर चुका है। अतः उसे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही है। निगरानीकार का पति कन्हैयालाल कोली के पक्ष मे जारी पटटे की तलाश मे था जिसकी नकल मिलते ही निगरानी प्रस्तुत की है। प्रार्थीया के पिता प्रहलाद धाबाई का मकान इस भूमि से लगता हुआ है। यदि उस समय नीलामी हुई होती तो प्रार्थीया के पिता भी नीलामी बोली लगाते इससे पंचायत को ओर अधिक आय होती। तत्कालीन सरपंच सचिव ने रामनिवास माली से मिलकर पंचायत को नुकसान पहुचाया है तथा फर्जी पटटा जारी किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस को गोर किया। पत्रावली का अध्ययन किया। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा फर्जी पटटा जारी किये जाने का कथन निगरानी मे किया है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सूचना के अधिकार के तहत निगरानीकार के पति द्वारा पेश आवेदन के संबंध मे उन्हे यह सूचित किया गया कि पत्रावली संख्या 306 वर्ष 1964–65 पंचायत के रिकार्ड मे उपलब्ध नही है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह नही माना जा सकता है कि पटटा फर्जी तौर से जारी हुआ है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी एवं लिखित बहस मे उक्त पटटा रामनिवास पुत्र भूरा माली द्वारा 30/12/61 को लगाई गई नीलामी के आधार पर 24/07/63 को राशि 300/–रू0 जमा करके रामनिवास की सहमति के आधार पर कन्हैयालाल कोली को जारी किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है। रामनिवास को की गई नीलामी की पत्रावली संख्या 198 वर्ष 1961–62 निगरानी मे पंचायत द्वारा प्रेषित की गई है इस आधार पर यह कहना कि पटटा फर्जी तौर से जारी किया गया है उचित नही है। वर्षो पुरानी पत्रावली पंचायत रिकार्ड मे नही मिल रही है तो उस आधार पर पटटा फर्जी मानना उचित निष्कर्ष नही है। रामनिवास द्वारा 60/–रू0 नीलामी से पूर्व 20/12/61 को जमा कराये गये है तथा शेष राशि 240/–रू0 दिनांक 24/07/63 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(132)

6/3

ा पटटा फीस के 2/–रू0 भी 24/07/63 को जमा होने का नोट सचिव ने पत्रावली पर लगाया हुआ जिसमे उक्त राशि जमा होने के बाबत केशबुक का पृष्ठ क्रमांक का भी उल्लेख किया है। निगरानीकार पति ने 04/01/08 को पत्रावली की नकल के लिए आवेदन किया है तथा सिविल न्यायाधीश क.ख. ाईमाधोपुर मे भी पक्षकार के मध्य एक वाद चला है उसमे भी विवादित भूमि विवादित सम्पत्ति से लगती होने का उल्लेख आया है। अतः निगरानीगुजार व उसके पति को सन् 2008 से उक्त पटटे की नकारी रही है। अतः निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत नजीर 2000(1) WLN P-200 के अनुसार निगरानी लिए कोई मियाद नही होना माना गया है लेकिन निगरानीगुजार को लम्बे समय से पंचायत के पटटे की नकारी होने के बाद लम्बे अर्से बाद निगरानी पेश की गई है। पक्षकार के मध्य क्योकि अन्य भी विवाद ल रहे है इससे निगरानी पेश करने का उदेश्य अनिगरानीकार को परेशान करने का भी प्रतीत होता है। न पंचायत द्वारा क्योकि पटटा कन्हैयालाल कोली को जारी किया था जिसने अनिगरानीकार संख्या 1 को /02/89 को भू–खण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचा है लेकिन निगरानीकार को कन्हैयालाल ली अथवा उसके वारीसान को पक्षकार बनाना चाहिये था। पत्रावली संख्या 306 वर्ष 1964–65 पंचायत कार्ड मे उपलब्ध नही हुई है लेकिन पत्रावली संख्या 198 वर्ष 1961–62 उपलब्ध हुई है उसे देखने पर ायत द्वारा विधिवत नीलामी की गई है तथा दोनो पत्रावलियो मे निर्णय आदि मे अलग अलग सरपंच रहे अतः मिलीभगत से कार्यवाही होने की कोई गुंजाइश प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीगुजार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर